

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना, दिनांक:- 01.10.26

संख्या-05/स्था0-(ADTO-नियुक्ति)-01-49/2026 8313 /परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-6607, दिनांक-12.08.2026 द्वारा परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त बिहार परिवहन सेवा के निम्नांकित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष को स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्रं0 सं0	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	योगदान स्वीकृति की तिथि	पदस्थापन
1	2	3	4	5
1	श्री त्रिपुरारी कुमार	मुजफ्फरपुर	13.08.2026	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर।
2	सुश्री दिव्या कुमारी	मुंगेर	13.08.2026	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय।
3	सुश्री श्वेता कुमारी	सहरसा	13.08.2026	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा।
4	श्री अमन राज	नालंदा	13.08.2026	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया।
5	श्री मनोज कुमार	पूर्वी चम्पारण	13.08.2026	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल।

2. उक्त नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को योगदान की तिथि से वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

01/10/26
(प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ई-मेल

ज्ञापांक-05/स्था0-(ADTO-नियुक्ति)-01-49/2026

8313

/पटना, दिनांक:- 01.10.26

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित नवनियुक्त अपर जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/10/26
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-05 / स्था0-(ADTO-नियुक्ति)-01-49 / 2026 8313 / पटना, दिनांक:- 01.10.26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त के वरीय प्रधान आप्त सचिव/परिवहन विभाग मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

01/10/26
सरकार के उप सचिव।